



## सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 22/07/2024

- ❖ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने 03 नफर शातिर अभियुक्तों/चोरों को किया गया, गिरफ्तार।
- ❖ अभियुक्तों/चोरों के कब्जे से चोरी किया गया माल 01 जोड़ी पायल सफेद धातु की, 01 अदद मंगलसूत्र (लाल रंग के मोती), 01 अदद माला (काले रंग के मोती) पीली धातु व 34,000 रुपये बरामद किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 21.07.2024 को थाना गजनेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. बदुल पुत्र नाजिर निवासी ग्राम मटियामऊ थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात 2. मकबुल पुत्र छिदू निवासी ग्राम मटियामऊ थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात 3. शमसुल पुत्र मौसम निवासी ग्राम मटियामऊ थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 21.07.2024 समय 22.00 बजे ग्राम घाटमपुर रोड पर बार्डर गजनेर थाना यूकेलिप्टस के बाग के सामने सड़क के पास से मय चोरी किये गये माल 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद मंगलसूत्र (लाल रंग के मोती), 01 अदद माला (काले रंग के मोती) पीली धातु व मु0अ0सं0 160/24 धारा 331(4)/305 भा0न्या0सं0 के 16000 रू0 नगद व मु0अ0सं0 161/2024 धारा 303 भा0न्या0सं0 8,000 रू0 नगद व मु0अ0सं0 263/24 धारा 305(A) भा0न्या0सं0 थाना रूरा से सम्बन्धित 10000 रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से बरामदगी की आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढोत्तरी की गयी। एक अन्य अभियुक्त मिन्टू पुत्र रज्जाक निवासी नौरंगाबाद की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि साहब हम लोगों ने थाना गजनेर, थाना रूरा तथा थाना शिवली क्षेत्र में चोरियां की थी। जिनमें थाना गजनेर क्षेत्र के ग्राम बिल्टी के घर में रखी अलमारी व बक्शे में रखे जेवर को निकाल लिये थे व रसूलपुर गोगूमऊ में गोदाम में बैटरी व एलईडी चोरी किये थे जिनमें से कुछ सामान बेचने के बाद 01 जोड़ी पायल, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद माला व 24,000 रुपये के बचे हैं। जिसमें से थाना रूरा क्षेत्र के ग्राम किशनपुर के पास एक कपडे की दुकान से कुछ जेन्ट्स व लेडीज कपडे व कोस्मेटिक सामान चोरी किया था तथा दुकान में लगे डीवीआर व कैमरा को भी हम लोगों ने चुरा लिया था जिससे हम लोगों की पहचान ना हो सके। डीवीआर व कैमरे को हमने नहर के बहते हुए पानी में फेक दिया था तथा कपडे व कोस्मेटिक का सामान हमने घुम फिर कर भिन्न-भिन्न जगहों पर सस्ते दामों में बेच दिया है। जिसमें से बिक्री के रुपये हम लोगो ने आपस में बाट लिये थे तथा जिसमें खर्च करने के बाद 10,000 रुपये बचे हैं। थाना शिवली क्षेत्र के मरहमताबाद मे बने हवाई पट्टी के पास कंटेनर मे से खिड़किये के एल्युमिनियम के फ्रेम व लोहे के एनाल व कटीली लोहे के तार व पानी की जीन पाइप आदि चोरी किये थे तथा बंटवारे के पैसे हम लोगों ने खर्च कर लिये।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. बदुल पुत्र नाजिर निवासी ग्राम मटियामऊ थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मकबुल पुत्र छिदू निवासी ग्राम मटियामऊ थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. शमसुल पुत्र मौसम निवासी ग्राम मटियामऊ थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

### अभियुक्तगण से बरामदगी -

1. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु की व 01 अदद मंगलसूत्र (लाल रंग के मोती) ।
2. 01 अदद माला (काले रंग के मोती) पीली धातु के व चोरी के माल मु0अ0सं0 160/24 धारा 331(4)/305 भा0न्या0सं0 के 16,000 रू0 नगद ।
3. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 303 भा0न्या0सं0 8,000 रू0 नगद ।
4. मु0अ0सं0 263/24 धारा 305(A) भा0न्या0सं0 थाना रूरा के 10000 रू0 नगद ।
5. कुल 34,000 रूपये बरामद हुये ।

### अभियुक्त बदुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 160/24 धारा 331(4)/305 भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 305 भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 0166/2024 धारा 35(1)/106 भा0ना0सु0सं0 व 317(2) भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 263/24 धारा 305(A) भा0न्या0सं0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
5. मु0अ0सं0 494/2022 धारा 120बी /380/411/413/457 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
6. मु0अ0सं0 526/2022 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

### अभियुक्त शमसुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 160/24 धारा 331(4)/305 भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 305 भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 0166/2024 धारा 35(1)/106 भा0ना0सु0सं0 व 317(2) भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 263/24 धारा 305(A) भा0न्या0सं0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
5. मु0अ0सं0 303/2017 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

### अभियुक्त मकबुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 160/24 धारा 331(4)/305 भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 305 भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 0166/2024 धारा 35(1)/106 भा0ना0सु0सं0 व 317(2) भा0न्या0सं0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 263/24 धारा 305(A) भा0न्या0सं0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
5. मु0अ0सं0 494/2022 धारा 120बी /380/411/413/457 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
6. मु0अ0सं0 522/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
7. मु0अ0सं0 526/2022 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
8. मु0अ0सं0 820/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
9. मु0अ0सं0 235/2021 धारा 379 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
10. मु0अ0सं0 0297/2020 धारा 379 भा0द0वि0 थाना शिवली जनपद कानपुर देहात ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
- 2- व0उ0नि0 श्री यतेन्द्र कुमार थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ।
- 3- उ0नि0 राजेन्द्र रंजन चौकी प्रभारी पामा थाना गजनेर कानपुर देहात ।
- 4- का0 1117 अजित कुमार थाना गजनेर कानपुर देहात ।
- 5- का0 498 बोबी थाना गजनेर कानपुर देहात ।